

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 216/2013
संस्थित दिनांक 15.05.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी

-अभियोगी

वि रु द्ध

रूपेश पिता राजाराम कोली,
उम्र 30 वर्ष, निवासी हनुमान मोहल्ला
अंजड़, थाना अंजड़, जिला बड़वानी

-अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ – श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता – श्री विशाल कर्मा

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 09-03-2017 को घोषित)

- 1— पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 83/2013 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 22.04.13 को शाम के लगभग 6:30 बजे अंजड़ आकाश ढाबे पर फरियादी रूपचंद चौहान के आधिपत्य से मोटरसाईकिल क्र. एम.पी. 46 एम.ई. 7491 कीमती लगभग 40,000/- उसकी सहमति के बिना सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक हटाकर चुरी करने के लिये भा.द.वि. की धारा 379 का आरोप है।
- 2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
- 3— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.04.13 को फरियादी रूपचंद चौहान ने थाना अंजड़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम कुण्डिया रहकर खेती मजदूरी करता है। कल वह नुक्ते में ग्राम भमोरी गया था, रात को घर जाते समय राजपुर रोड़ अंजड़ पर आकाश ढाबे पर खाना खाने के लिये रुका और वही पास में उसकी हीरो हॉण्डा सी.डी. डिलक्स मोटरसाईकिल क्र. एम. पी. 46 एम.ई. 7491 को खड़ी कर दी थी, खाना खाकर ढाबे से बाहर आकर देखा तो उसकी मोटरसाईकिल नहीं दिखी, आसपास तलाश किया पता नहीं चला कोई अज्ञात बदमाश उसकी मोटरसाईकिल चुराकर ले गया है, रिपोर्ट करता है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ पर अपराध क्र. 83/13 दर्ज कर, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसकी

सूचना के आधार पर उससे उक्त मोटरसाईकिल जप्त कर विवेचना पूर्व कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4- उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त पर भा.द.वि. की धारा 379 का आरोप लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचार चाहा, उसका अभिवाक लिखा गया। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

5- प्रकरण के युक्तियुक्त निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या दिनांक 22.04.13 को शाम लगभग 6:30 बजे आकाश ढाबा अंजड़ पर फरियादी रूपचंद चौहान के आधिपत्य से मोटरसाईकिल नं. एम.पी.46 एम.ई. 7491 सी.डी. डिलक्स कीमत लगभग रुपये 40,000/-को उसकी अनुमति के बिना चोरी हुई थी?
ब	क्या उक्त चोरी आरोपी रूपेश द्वारा की गई है?
स	निष्कर्ष एवं दण्डादेश?

- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-‘अ’ पर सकारण निष्कर्ष -

6- उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी रूपचंद चौहान (अ. सा.1) का कथन है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व शाम के समय उसकी पत्नी कविता चौहान के नाम से पंजीकृत हीरोहोण्डा कंपनी की सीडी डिलक्स मोटरसाईकिल क्र. एम.पी.46 एम.ई. 7491 को उसने राजपुर रोड़ पर ढाबे पर खाना खाने के लिए खड़ी कर दी थी, खाना खाकर वापस आया तो मोटरसाईकिल नहीं मिली, आसपास तलाश करने पर नहीं मिली। उसने थाना अंजड़ पर प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटना स्थल बताया था नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7- मालतीबाई (अ.सा.2) तथा बाबू (अ.सा.3) ने भी उनकी होटल के सामने से मोटरसाईकिल चोरी होने के संबंध में कथन किया है। आर.ए.यादव (अ. सा.6) ने दिनांक 23.04.13 को थाना अंजड़ में फरियादी रूपचंद की रिपोर्ट के आधार पर उसकी मोटरसाईकिल नं. एम.पी.46 एम.ई. 7491 सी.डी. डिलक्स अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुराने के संबंध में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट अपराध क्र. 83/13 पर दर्ज की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त किसी भी साक्षी को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव नहीं दिया गया है था कि रूपचंद की मोटरसाईकिल की चोरी नहीं हुई थी। इस प्रकार उक्त विचारणीय प्रश्न प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान से फरियादी रूपचंद के आधिपत्य से मोटरसाईकिल नं. एम.पी.46 एम.ई. 7491 सी.डी. डिलक्स चोरी हुई थी।

- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-‘ब’‘स’ पर सकारण निष्कर्ष -

8- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबां में आर.ए.यादव (अ.सा.6) का कथन है कि उसने आरोपी से पूछताछ की थी तो उसने मोटरसाईकिल घर में छिपाकर रखना बताया था, तब उसने प्रदर्श पी 5 का मेमोरेण्डम बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी ने हस्ताक्षर किये थे। वह आरोपी और साक्षीगण जयपाल व सादिक को लेकर आरोपी के बताये स्थान उसके घर पर गया था तो उसने अपने घर पर छिपाकर रखी गई मोटरसाईकिल नं. एम. पी.46 एम.ई. 7491 सी.डी. डिलक्स पेश की थी जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 6 उसने बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके और डी से डी भाग पर आरोपी ने हस्ताक्षर किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया है कि आरोपी का मकान दो कमरे का है, लेकिन कौन से कमरे में वाहन रखा है उसका उल्लेख प्रदर्श पी 6 के जप्ती पंचनाम में नहीं किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने रवानगी और वापसी की प्रति प्रकरण के साथ संलग्न नहीं की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी के मकान के संबंध में उसके द्वारा नगर पंचायत या ग्राम पंचायत का कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं लिया था और आसपास के लोगों से भी पूछताछ नहीं की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह आरोपी को फंसाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

9- जयपाल सोलंकी (अ.सा.4) तथा सादिक (अ.सा.5) आरोपी के मेमोरेण्डम और जप्ती के साक्षीगण हैं, किंतु दोनों ही साक्षियों ने उनके सामने पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करना और उनके द्वारा पुलिस को कोई भी सूचना देने से इंकार करके अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षियों ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी से पूछताछ की थी तो आरोपी ने उक्त मोटरसाईकिल अपने घर से जप्त करने के संबंध में बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस उन्हें लेकर हनुमान मोहल्ला अंजड़ में आरोपी के घर गये थे और पुलिस ने आरोपी के पेश करने पर प्रदर्श पी 6 के अनुसार उक्त मोटरसाईकिल उनके सामने आरोपी से जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने स्वीकार किया है कि आरोपी उनके गांव का ही है जिसे वे जाते हैं। वें पुलिस के साथ आरोपी के घर नहीं गये थे। उन्होंने आरोपी का घर भी नहीं देखा है। इस प्रकार जप्ती पंचनामे और आरोपी के मेमोरेण्डम के दोनों ही साक्षी पक्ष विरोधी रहे हैं, उन्होंने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी एक मात्र साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रूपचंद चौहान के आधिपत्य से उसकी मोटरसाईकिल उसकी अनुमति के बिना बैईमानी से हटाकर चोरी की। अतः साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत(क) के अनुसार उपधारणा अभियोजन के पक्ष में भी नहीं की जा सकती है। अतः उक्त विचारणीय प्रश्न प्रमाणित नहीं होता है।

10- अतः उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी रूपेश पिता राजाराम कोली के विरुद्ध

संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी रूपेश पिता राजाराम कोली, उम्र 30 वर्ष, निवासी हनुमान मोहल्ला अंजड़, थाना अंजड़, जिला बड़वानी को भा.द.वि. की धारा 379 के अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित करता है।

11— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12— अभियुक्त के द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए।

13— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल नं. एम.पी.46 एम.ई. 7491 सी.डी. डिलक्स पूर्व से उनके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उन्हीं के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.